# प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'अड़तीस' [ 31/3/2016]

प्रश्न सं. [ क्र. 7675 ]


## कार्यालय जिला पंचायत अशोकनगर (म.प्र.)

E-Mail ceozpash-mp@nic.in Phone No. 07543-220030
फैक्स-07543-220469


क्रमांक/जि.पं./पं.प्रको./2016/13012 अशोकनगर दिनांक 17/03/ 2016

परिशिष्ट-'अ'

### -: आदेश :-

आयुक्त पंचायत राज संचालानालय म.प्र. भोपाल के अर्द्धशासकीय पत्र क. 2414 दिनांक 29.02.16 के संलग्न माननीय विधायक श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा एवं श्री प्रताप सिंह फौजी पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत रावसर जागीर द्वारा ग्राम पंचायत रावसर जागीर के सचिव के विरुद्ध की गई शिकायतो की जांच एपीओ से कराई गई। प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर श्री हरिओम शर्मा सचिव के विरुद्ध ग्रामीणो द्वारा की गई शिकायतें जैसे- इंदिरा आवास कुटीर के पात्र हितग्राहियो के कुटीर स्वीकृति के प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को न भेजने, वृद्धावस्था पेंशन के हितग्राहियों के आवेदन स्वीकृति हेतु जनपद पंचायत में प्रस्तुत नही करनें, लगभग एक वर्ष से अधिक समय तक पेंशन के पात्र हितग्राहियो को पेंशन राशि का भुगतान न होना, मनरेगा-पंचपरमेश्वर योजना की स्थिति संतोषजनक न होने के कारण **श्री हरिओम शर्मा सचिव ग्राम पंचायत रावसर जागीर जनपद पंचायत ईसागढ** को म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 एवं म.प्र. पंचायत सेवा(अनुशासन एवं अपील) नियम 1999 में वर्णित प्रावधानो के तहत तत्काल प्रभाव से निलंवित किया जाता है।

निलंवन अवधि में श्री हरिओम शर्मा का मुख्यालय जनपद पंचायत अशोकनगर रहेगा। निलंवन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

**यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।**

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत अशोकनगर

पृ.क्रमांक/जि.पं./पं.प्रको./2016/ 13013 अशोकनगर दिनांक 17/03/ 2016

**प्रतिलिपि :**

01. आयुक्त पंचायत राज संचालनालय -1अरेरा हिल्स तिलहन संघ परिसर म.प्र. भोपाल की ओर आपके अर्द्धशासकीय पत्र क. 2414 दिनांक 29.02.16 के पालन में सूचनार्थ।
02. कलेक्टर, जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
03. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुभाग ईसागढ की ओर सूचनार्थ ।
04. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ईसागढ की ओर संबधित का निलंवन आदेश निर्वाह कराने हेतु। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि निलंवित सचिव के ज्ञापन, आरोप/अभियोग पत्रादि तैयार कर 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध करावें एवं निकट के तीन सचिवो के नाम का पैनल 03 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करें।
05. खण्ड पंचायत अधिकारी जनपद पंचायत ईसागढ की ओर उपरोक्तानुसार पालनार्थ।
06. सरपंच ग्राम पंचायत रावसर जागीर की ओर सूचनार्थ।
07. श्री हरिओम शर्मा सचिव ग्राम पंचायत रावसर जागीर जनपद पंचायत ईसागढ की ओर पालनार्थ ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत अशोकनगर

OK